



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
Email: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक:—एफ.24(NOC-26-27)/ITEP/बी.एड./आकाशि/2026 दिनांक:— ई—हस्ताक्षरहित

आदेश

पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा जारी मान्यता आदेश क्रमांक NCTE/WRC/2627202509162629/RAJSTHAN / 2025/Recognition order दिनांक 18.06.2026 के अनुसरण में आई. टी.ई.पी. के अन्तर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु निम्नलिखित निजी महाविद्यालय को सत्र 2026-27 से अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अधोलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा जारी किया जाता है:—

Sr. No.	Institute Name	Discipline	Stage(s)	Intake	Duration of the Programme	Co-Ed/ Women
1.	Shreenath College Dungarpur, Industrial Area, Dungrapur, Rajasthan-314001	B.A.B.Ed.	Secondary	1 unit (50 seats per unit)	4 year	Co-Ed.
		B.Sc.B.Ed.	Secondary	1 unit (50 seats per unit)	4 year	

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अधोलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:—

- निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
- प्रभावी एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन अनुसार योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
- निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
 - एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
 - राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
 - अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
 - संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
 - अन्य आवश्यक सभी सूचनाएं
- प्रभावी एनसीटीई रेगुलेशन की पालना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

(नथमल डिडेल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रजिस्ट्रार, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
- क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
- सचिव/प्राचार्य, संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
- रक्षित पत्रावली।

आयुक्त